संख्या-19/2020-441/58-2020-49/2018

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 12 मार्च, 2020**

विषयः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूशन आफ वेजीटेबुल सीड्स-किचन गार्डन सेट परियोजना हेतु अनुमोदित धनराशि रू0 105.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि रू0 15.00 लाख (अनुदान संख्या-11) की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शा0भा0 984-85/मिनीकिट/2019-20, दिनांक 19.2.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत प्रदेश के 30 नान एन0एच0एम0 जनपदों में मिनीकिट्स वितरण किये जाने हेतु कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-70/12-3-2020-100(50)/2017टीसी, दिनांक 14.02.2020 द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में निम्नलिखित तालिका में वर्णित मानक मदों में उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0-15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

परियोजना का नाम	लेखाशीर्षक/मानक मद	अवमुक्त धनराशि	प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि
Technology commercialization and popularization (distribution of vegetables seeds-kitchen garden sets) for non MIDH districts	अनुदान सं0-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-(के.60/रा.40-के0+रा0) 0204-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें-(के.60/रा.40-के0+रा0) 27-सब्सिडी 42-अन्य व्यय	 14.00 1.00	 14.00 1.00
	योग-	**15.00**	**15.00**

(रूपये-पन्द्रह लाख मात्र)

(1) प्रश्नगत प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-70/12-3-2020- 100(50) /2017टीसी, दिनांक 14.02.2020 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना कें अनुमोदित मदों पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यो पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक तथा संबंधित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गत लाभार्थी को दिये जा रहे लाभ में द्विरावृत्ति नहीं होगी अर्थात राज्य सेक्टर या किसी अन्य समान योजना के लाभार्थी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। लाभार्थियों के नाम नेट पर रहेंगे।

(5) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(7) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-19/2020-441(1)/58-2020 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) वित्त नियन्त्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(4) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(6) कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
(8) वित्त (आय व्ययक)अनुभाग-1
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in